न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 17/2024

भैरूलाल पिता उदयलाल गुर्जर निवासी पालनपुर तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1. अर्जुनकुमार पिता जमनादास बैरागी निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूं
2. गंगाबाई पुत्री देराम गुर्जर निवासी पालनपुर हा.मु. पति मोतीलाल बिहारीपुरा पो.गेणोली तहसील माण्डलगढ़ जिला भीलवाडा
3. जमनादास पिता रामदास बैरागी निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूं
4. सीतादेवी पुत्री जमनादास बैरागी निवासी बलवंतनगर हा.मु. पति प्रकाशचन्द्र वैष्णव निवासी भोणास तहसील आसींद जिला भीलवाडा
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरियाकलां
6. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ़
7. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ

प्रतिवादीगण

उपस्थित :– श्री अशोक कुमार शर्मा
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :–23.09.2025

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53–88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी का वाद पत्र इस प्रकार से है कि मौजा ग्राम पालनपुर प.ह. ढुकरार्ठ में वादी एवं प्रतिवादीगण सं. 1 से लगाकर 4 तक की संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त की निम्न कृषि आराजीयात राजस्व जमाबंदी संवत 2078 में दर्ज स्थित है जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

खाता संख्या	आराजी संख्या	रकबा हैक्टर
75	143	0.6950
	145	0.0640
	146	0.1370
	कीता–3 कुल रकबा	0.8960 हैक्टर

यह कि उपरोक्त खाता संख्या 75 में अंकित आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता– 3 कुल रकबा 0.8960 हैक्टर भूमि में वादी का 29/45 हक हिस्सा होकर वादी अपने निहित हक हिस्से अनुसार मौके पर काबीज हो काश्त करता चला आ रहा है एवं प्रतिवादी संख्या1 से 4 तक भी राजस्व जमाबंदी रेकार्ड में अंकितानुसार अपने अपने निहित हक हिस्सा भूमि पर काबीज हो काश्त करते आ रहे है।

यह कि उपरोक्त वर्णित कृषि आराजीयात में निहित हक हिस्से 29/45 पर वादी निरन्तर काबिज होकर काश्त कर रहा है, तथा प्रतिवादीगण भी अपने अपने निहित हक हिस्से पर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है तथा नियमानुसार कृषि भूमि का लगान जमा कराते आ रहे है लेकिन वर्णित कृषि भूमि का विधिवत बंटवाडा वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य नहीं होने से आए दिन वादी एवं प्रतिवादी के मध्य फसल बोते समय एवं घास चारा काटते समय सीमा संबंधी एवं लगान जमा कराते समय विवाद होता रहा है जिसके स्थायी समाधान के लिए वादी ने आपसी सहमति से तहसील में चलकर खाता विभाजन कराने के लिए प्रतिवादीगण सं. 1 से 4 तक को दिनांक 10.02.2024 को कहा तो उन्होने इन्कार कर दिया जससे वाद कारण उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है।

यह कि वाद वर्णित कृषि आराजीयात न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद पत्र न्यायालय श्रीमान मे पेश है प्रतिवादीगण की तरलबी हेतु सम्मन मय प्रोसेस , नकल जमाबंदी आदि न्यायालय में पेश है। वर्णित कृषि आराजीयात बैंक शाखा के रहन होने से बैंक शाखा को वादपत्र में प्रतिवादी के रूप में पक्षकार बनाया गया है। साथ ही भूमिधारी तहसीलदार साहब बेगूं घोषणा विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से एवं श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार होने से पक्षकार बनाए गये है।

अतः न्यायालय श्रीमान से निवेदन है कि वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न अनुतोष की डिकी प्रदान कराई जावें:-

(क) कि वादपत्र की कलम सं. एक में अंकित मौजा पालनपुरा प.ह. ठुकराई तहसील बेगूं की राजस्व जमाबंदी संवत 2078 की खाता संख्या 75 में अंकित आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता-3 कुल रकबा 0.8960 हैक्टर संयुक्त खातेदारी की कृषि आराजी में वादी का 29/45 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी सं. 1 से 4 तक का राजस्व अनुसार मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञप्ति वादी के पक्ष में विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

(ख) कि बाद विभाजन वादी का खाता पृथक से राजस्व रिकोर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावें।

(ग) कि अन्य कोई अनुतोष सुलभ वादी हो विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराया जावें।

वाद पत्र न्यायालय मे प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रकरण में प्रतिवादी संख्या 1,3 व 4 की ओर से अधिवक्ता श्री देवेन्द्रसिंह चुण्डावत ने अपना अधिकार पत्र प्रस्तुत किया जबकि प्रतिवादी सं. 2 बावजूद रजिस्टर्ड ए. डी. सम्मन की तलबी से न्यायालय में उपस्थित नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश न्यायालय द्वारा दिये गये। पत्रावली में प्रतिवादी सं. 1 ,3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा नो-इन्स्ट्रक्शन प्लीड (हिदायत पैरवी नहीं) अंकित किया है तथा प्रतिवादी सं. 1,3 व 4 न्यायालय में उपस्थित भी नहीं आए है। ना ही उनकी ओर से कोई जवाब प्रस्तुत है। पत्रावली में वादी की ओर से एक तरफा साक्ष्य वादी हेतु वादी भैरूलाल पिता उदयलाल गुर्जर का साक्ष्य शपथ पत्र पेश किया तथा मुख्य परीक्षण में वादी द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत सभी दस्तावेज को प्रदर्श कराते हुए अपने बयान कलमबद्ध कराये, मामला एक तरफा का होने से जिरह निल रही है। इस प्रकार वादी साक्ष्य पूर्ण होने एवं प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं होने से पत्रावली में अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया।

अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में वादपत्र अनुसार निवेदन करते हुए वाद वर्णित कृषि आराजीयात ग्राम पालनपुर प.ह. ठुकराई की आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता-3 कुल रकबा 0. 8960 हैक्टर भूमि में वादी का हक हिस्सा 29/45 का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार पर मीट्स एण्ड् बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किये जाने का निवेदन किया है।

वाद पत्र अ.धा. 53 राज.काश्त.अधि. पर अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुने जाने के पश्चात हमारे द्वारा दावा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज नकल जमाबंदी मौजा पालनपुर प.ह. ठुकराई की सं. 2078 की जो कि प्रदर्श- 1 का अवलोकन किया गया, जमाबंदी में दर्ज कृषि आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता-3 कुल रकबा 0.8960 हैक्टर भूमि में वादी का हक हिस्सा 29/45 अंकित है। प्रदर्श-2 नक्शाट्रेस आराजी का है। इस प्रकार वादी वाद वर्णित कृषि भूमि मे अपने निहित हक हिस्से का विभाजन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत करा पाने के अधिकार पाये जाते है, जिससे वादी का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा पालनपुरा पटवार हल्का ठुकराई की कृषि आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता-3 कुल रकबा 0.8960 हैक्टर भूमि में वादी का हक हिस्सा 29/45 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूँ को 1500/-रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिकी किया जाता है। प्राथमिक डिकी प्रति तहसीलदार बेगूँ को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर शुल्क वादी से वसूल करते हुए उपरौक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूँ

मूलवाद में प्राथमिक डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूं जिला चितौडगढ़ (राज0)

पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस.

दावा संख्या :– 17 / 2024

भैरूलाल पिता उदयलाल गुर्जर निवासी पालनपुर तहसील बेगूं
वादी

बनाम

1. अर्जुनकुमार पिता जमनादास बैरागी निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूं
2. गंगाबाई पुत्री देराम गुर्जर निवासी पालनपुर हा.मु. पति मोतीलाल बिहारीपुरा पो.गेणोली तहसील माण्डलगढ जिला भीलवाडा
3. जमनादास पिता रामदास बैरागी निवासी बलवंतनगर तह0 बेगूं
4. सीतादेवी पुत्री जमनादास बैरागी निवासी बलवंतनगर हा.मु. पति प्रकाशचन्द वैष्णव निवासी भोणास तहसील आसींद जिला भीलवाडा
5. श्रीमान शाखा प्रबंधक महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा सामरियाकलां
6. श्रीमान भूमिधारी जी जरिये तहसीलदार साहब बेगूं जिला चितौडगढ़
7. श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय प्रतिनिधि राजस्थान सरकार चितौडगढ

प्रतिवादीगण

निर्णय प्राथमिक डिक्री वाद पत्र अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0

वादीगण की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिती एवं प्रतिवादी की अनुपस्थिती में वाद अ.धा. 53–88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 23.09.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूं के समक्ष प्राथमिक निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53–88 आर.टी.एक्ट का निम्नानुसार प्राथमिक डिक्री किया जाता है :–

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है। मौजा पालनपुरा पटवार हल्का ढुकराई की कृषि आराजी संख्या 143, 145, 146 कीता–3 कुल रकबा 0.8960 हैक्टर भूमि में वादी का हक हिस्सा 29 / 45 हिस्सा तथा शेष हिस्सा प्रतिवादीगण का जमाबंदी अनुसार रखते हुए वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य कृषि भूमि का अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी अनुसार तथा मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार विभाजन किया जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500 / –रूपये कमिश्नर फीस पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। प्राथमिक डिक्री किया जाता है। प्राथमिक डिक्री प्रति तहसीलदार बेगूं को दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि कमिश्नर शुल्क वादी से वसूल करते हुए उपरोक्त कृषि भूमि का वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य विभाजन करा विभाजन प्रस्ताव न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करें।

निर्णय आज दिनांक 23.09.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 / 649. दिनांक :– 29.9.25

दावा संख्या 17 / 2024 व श्री भैरूलाल बनाम अर्जुन कुमार वगै वाद अ0धा0 53–88 राज0काश्त0अधि0 में जारी प्राथमिक डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को वास्ते पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूं